तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.06.18	पत्रावली पेश हुयी। राज पैरोकार उपस्थित। ~~तहसीलदार~~, इन्द्रगढ़ से DLC रेट प्रस्तावित उपपंजीयक इन्द्रगढ़ रकबा की प्राप्त हुयी शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त DLC रेट के आधार पर गणना कर 0.06 हैं कि मालियत 41342/- रुपये है जिसकी दुगुनी राशी 82684.8 रु बनती है। अतः आदेश में तदनुसार कीमत ली जाकर रास्ते बाबत आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	273-274 30/7/18 TORC/प्राप्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

प्रार्थना पत्र संख्या 58/प्रार्थना पत्र/17 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा RAS

दायरा दिनांक– 28.12.17

उनवान

1. हुकमा उम्र 60 वर्ष आत्मज नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुढा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. गिर्राज आत्मज कल्याण जाति गुर्जर निवासी गुढा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. रामहेत आत्मज बिरधा जाति गुर्जर निवासी गुढा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. मनराज आत्मज बिरधा जाति गुर्जर निवासी गुढा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी
4. रुमाली पुत्री बिरधा जाति गुर्जर निवासी गुढा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी
5. ममता बेवा बिरधा जाति गुर्जर निवासी गुढा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा. इन्द्रगढ तह. इन्द्रगढ बून्दी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– अर्न्तगत धारा 251 क आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक–29.06.2018

यह प्रार्थना पत्र हुकमा उम्र 60 वर्ष आत्मज नारायण जाति गुर्जर ने जर्ये अधिवक्ता इस न्यायालय में धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 225 खसरा न. 385 रकबा 0.16 हैक्ट. , खसरा न. 386 रकबा 0.17 हैक्ट. , खसरा नं. 387 रकबा 0.20 हैक्ट. , खसरा न. 388 रकबा 0.90 हैक्ट. , किता 4 योग रकबा 1.43 हैक्ट. वाके ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 385,386,387,388 किता 4 योग रकबा 1.43 हैक्ट. वाके ग्राम गुढा में जाने का रास्ता खसरा नं. 390 के पूर्वी मेंर के सहारे सहारे है जो आगे जाकर आम रास्ते से जुड़ा हुआ हैं। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में जाने का रास्ता एक मात्र रास्ता है जिसका उपयोग एवं उपभोग प्रार्थी अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से करता आ रहा है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 ने प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में ट्रेक्टर व कृषि यंत्र, ट्रोली वगैरह ले जाने में असमर्थ है और प्रार्थी की कृषि भूमि पडत रहने की स्थिति हैं। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे जाने का स्थायी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

रास्ता चाहता है जिसके लिये प्रार्थी रास्ते के उपयोग की भूमि के बदले भूमि व डी एल सी दर से अप्रार्थीगण को रूपये अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगणो को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगा 5 की ओर से अण्डरटेकिन अधिवक्ता द्वारा नियत पेशी पर पेश की गयी। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मुख्यालय गुढा में पेश किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय में उपस्थित हुए। प्रार्थी व अप्रार्थीगण से प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण हेतु समझाइस की गयी। लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा हेतु आवेदन पेश किया गया । राजीनामा यह तय हुआ कि प्रार्थी को उसके खातेदारी के खसरा सं. 388 पर जाने के लिये 12 फिट चौडा व 136 मीटर लम्बा रास्ता खसरा सं. 390 में से दिया जाने हेतु सहमत है। रास्ता में जाने वाली भूमि के बदले डी एल सी रेट का दुगुनी कीमत प्रार्थी अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु सहमत है।

लोक अदालत केम्प में स्टेट की ओर से जवाब मौका रिपोर्ट पेश की गयी । मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। खसरा सं. 390 की दक्षिणी मेंड से स्थायी रास्ता गुजरता है जो कि खसरा सं. 391 है। प्रार्थी के उसके खातेदारी खसरा सं. 385,386,387,388 पर जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं हैं।

प्रस्तुत राजीनामा व मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा व स्टेट की ओर से पेश मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थी हुक्मा आ. नारायण कौम गुर्जर के खातेदारी भूमि ख. सं. 385,386,387,388 है। इन खसरा नं. पर जाने के लिये खसरा नं. 390 की पूर्वी मेर के सहारे 12 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सरकारी रिकार्ड में उक्त खसरा नं. पर जाने के लिये रास्ता दर्ज नही है।चाहा गया रास्ता न्यूनतम है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में भी अप्रार्थीगण प्रार्थी को रास्ता देने हेतु सहमत है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ख. सं. 390 की पूर्वी मेड के सहारे ख. सं. 390 में से मौका नक्शा के अनुसार ख. सं. 390 की दक्षिणी मेड से लगवा गैर मुमकिन रास्ता से प्रारम्भ कर ख. सं. 390 की पूर्वी मेड के सहारे 12 फीट चौडा रास्ता ख. सं. 388 की मेड तक 136 मीटर लम्बा (जो कि तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा पेश मौका नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है।) रास्ते में आने वाली कुल भूमि 497.56 मी. की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी एल सी दर 689040/हैक्ट. के अनुसार मालियत 34284 रूपये की दुगुनी राशि 68568 रूपये के डी डी तहसीलदार इन्द्रगढ को पेश करे। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी

डी.डी. प्राप्त कर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर नक्शा में तरमीम करे। बाद अंकन उक्त डी. डी. अप्रार्थीगण को संभलावे।

प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय 29.06.2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रपत्र–1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, लालसोट

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान :– गुढा

नम्बर मुकदमा:– 58/प्रा॰ पत्र/2017

उनवान मुकदमा:– हुक्मा बनाम गिर्राज वगैरह

1) हुक्मा उम्र 60 वर्ष
~~आत्मज नारायण जाति गुर्जर~~
निवासी ग्राम गुढा

बनाम

1) गिर्राज आत्मज कल्याण जाति गुर्जर
2) रामहेत आत्मज बिरधा जाति गुर्जर
3) मनराज आत्मज बिरधा जाति गुर्जर
4) रूपाली पुत्री बिरधा जाति गुर्जर
5) ममता बेवा बिरधा जाति गुर्जर
निवासीगण गुढा
6) राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़

विषय:– लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थ/प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी

स्थान :– गुढा
दिनांक :– 22.06.18

नि॰ हुक्मा
1) वादी

प्रतिवादी ⇒ 1) रूपाली
2) रामहेत
3) मनराज
4)

प्रपत्र–4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, लाखेरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत मुख्यालय गुढ़ा

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,

....

डुकना उम्र 60 वर्ष आत्मज नारायण जाति गुर्जर, गुढ़ा बनाम गिरीज आत्मज कल्याण वगैरह

प्रकरण संख्याः– .... अन्तर्गत धारा 251A RTA

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री .... का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच संबंध अच्छे हो चुके है।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ हैः–

....
....
....
....
....
....
....

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष	प्रतिवादी पक्ष
01.	01.
02.	02. रामलाल
03.	03.
04. अ नि डुकना	04. रामहेत मनराज अ नि गिरीज

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .... (वादी पक्ष) नाम रमेशचन्द

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर बद्रीलाल मीणा (प्रतिवादी पक्ष) नाम बद्रीलाल मीणा S/o चंदालाल

प्रार्थी/वादी रमेशचन्द S/o डूलाल .... एवं अप्रार्थी/पतिवादी ....

. द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहें।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

( )
पीठासीन अधिकारी